

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक- 1176 / 33-1 / दिनांक, नवम्बर ०९, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :- जनपद झांसी में भारत रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी लि० लखनऊ द्वारा ग्वालियर-झांसी मार्ग (एन०एच० 44) के कि०मी० संख्या- 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा संख्या- 422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी उ०प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.1721221 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/148762/2021

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/151/2022/एफ०सी०/136, दिनांक 10.10.2024।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक- 1709/13-1, दिनांक 09.11.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/151/2022/एफ०सी०/136, दिनांक 10.10.2024 द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 09.11.2024 द्वारा 02 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की है। अनुपालन आख्या की एक प्रति मूल में संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(महावीर कौजालगी)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या- / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को उनके पत्र दिनांक 09.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महावीर कौजालगी)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक

/13-1, दिनांक, झांसी, नवम्बर, ०९ 2024

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ०प्र० झांसी।

विषय :- जनपद झांसी में भारत रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी लि० लखनऊ द्वारा ग्वालियर-झांसी मार्ग (N.H 44) के किमी० चैनेज 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं० 422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी उ०प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.1721221 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (FPI/UP/Approach/148762/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/151/2022/एफ०सी०/136, दिनांक 10.10.2024।

महोदय,

विषयांकित ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का ऑनलाइन/ऑफलाइन निराकरण करते हुए सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैं-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	As per condition no. 07 of In-principle approval, No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.	As per condition no. 07, Non-Violation certificate of (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 expected from concerned Divisional Forest Officer.
2.	As per condition no. 09 of In-principle approval, User Agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	As per condition no. 09, Reliance BP mobility Limited, Lucknow hereby undertakes that it will use the land between entry and exit of Petrol Pump for plantation and conservation of trees and the same will be demarcated by 2 feet wall.
3.	As per condition no. 11 of In-principle approval, Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	As per condition no. 11, This is required from DFO office to authenticate that the proposed retail outlet is not in close proximity of any existing retail outlet.

भवदीय

(जे०बी० शेंडे)

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 1709 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे०बी० शेंडे)

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के
उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद झांसी में रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी लि० लखनऊ द्वारा ग्वालियर-झांसी मार्ग (N.H. 44) के किमी० चैनेज 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं० 422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी उ०प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी


क्षेत्रीय वन अधिकारी
झांसी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

For Reliance BP Mobility Limited


Authorised Signatory
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी
लि०, लखनऊ



Condition No. 09

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for entry/exit approach to reliance BP mobility Limited retail outlet on Gwalior to Jhansi road(NH-44) in between km. No. 92.760 to 93.00 (LHS) at khasra No. 422, village karari tehsil Jhansi, district Jhansi (UP). As per compliance 09, reliance BP mobility Limited, Lucknow hereby undertakes that it will use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees and the same will be demarcated by 2 feet wall.

अग्रसित
(जे०बी० शेडे)
प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग झाँसी

For Reliance BP Mobility Limited
Abhinav Kumar
Authorised Signatory
(Authorised signature)
reliance BP mobility Limited
Lucknow

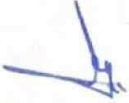
Reliance BP Mobility Limited: Petroleum Department, 2nd Floor, Reliance House, RK Four Square,
Building No. 4, DLF Cyber City, Phase - 2, Gurugram - 122002, Haryana
(FORMERLY JIO INFORMATION SOLUTIONS LIMITED)

Registered Office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400021.
Phone No. 022 - 22785000

Certificate

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय
लखनऊ, उ०प्र० का पत्र दिनांक 19.12.2022 एवं 10.10.2024 द्वारा जारी में से बिन्दु
सं०-11 का प्रमाण पत्र।

This is certify that proposed retail outlet is not in close proximity of any exiting Retail outlet in accordance with MORTH guideline dated 24.07.2013.


क्षेत्रीय वन अधिकारी
झाँसी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी


प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी